(68)

झारखण्ड सरकार

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, राँची

संकल्प

संख्या- सू०प्रा०- 02/03 — — 33 राँची, दिनांक- 22-1-04

विषय : राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार व्यवस्था से सम्बंधित परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए नीति निर्धारण के सम्बंध में ।

झारखण्ड सरकार राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार व्यवस्था से संबंधित परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए कृत संकल्प है । इन क्षेत्रों में निवेशकों को कोई परेशानी न हो इसके लिए समय-समय पर नीति निर्धारण आवश्यक है । इसी क्रम में दूरसंचार व्यवस्था और सूचना प्रौद्योगिकी हेतु ऑप्टिकल फाइबर केबल्स (Optical Fibre Cables) बिछाने का कार्य जो ऐन्सीज करती हैं उन्हें केबल बिछाने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों अथवा प्राधिकारों से अनुमति लेने के लिए न दौड़ना पड़े इसके लिए SingleWindow System की व्यवस्था की जा रही है । इसमें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति ऑप्टिकल फाइबर केबल्स (OFC) बिछाने से संबंधित आवेदनों का निस्तार करेगी और इस समिति की अनुमति मिलने के बाद किसी अन्य विभाग, प्राधिकार अथवा निगम की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी । इस विषय में निम्न आदेश दिये जाते हैं :-

1. ऐसी कोई भी एजेन्सी, जिसे दूर-संचार विभाग से दूर-संचार, इंटरनेट अथवा अन्य प्रकार की सेवाएँ प्रदान करने का अनुज्ञा-पत्र प्राप्त हो तथा जिसे इस निमित्त फाइबर केबल्स राज्य के अन्तर्गत बिछानी हो तो वह इस

क्रमशः

हेतु राज्य सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव के समक्ष केबल्स बिछाने की अनुमति हेतु आवेदन करेगी। यह आवेदन बिना किसी विलम्ब के, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष रखा जाएगा। इस समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

(i) सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग
(ii) सचिव, पथ निर्माण विभाग
(iii) सचिव, उद्योग विभाग
(iv) सचिव, वित्त विभाग
(v) सचिव, शहरी विकास विभाग
(vi) सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
(vii) सचिव, ऊर्जा विभाग, तथा
(viii) सचिव, राजस्व विभाग।

सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, इस समिति के सदस्य-सचिव रहेंगे।

2. यह समिति अन्य अधिकारियों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुला सकती है यदि समिति के समक्ष प्रस्तुत विषय हेतु इसकी आवश्यकता पड़े। इस समिति को ऑप्टिक फाइबर केबल्स बिछाने हेतु right of way की अनुमति देने का पूर्ण अधिकार होगा। समिति की बैठक महीने में कम से कम एक बार होगी।

3. यह Right of Way सभी सड़कों, पुलों, नहरों, नदियों आदि ऐसी सभी संरचनाओं के लिए दिया जा सकता है जो सरकार के किसी भी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हों।

4. यह Right of Way निःशुल्क होगा तथा इसका कोई किराया भी नहीं लगेगा, लेकिन प्रत्येक संस्था राज्य सरकार को 2-मेगा बिट्स प्रति सेकेन्ड (2Mbps) की band-width राज्य मुख्यालय से ऐसे सभी जिला मुख्यालयों जिनमें वे ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बिछा रहे हों, पूर्णतः मुफ्त, उपलब्ध करायेगी। यह band-width परियोजना के पूरे जीवनकाल के लिए होगी। राज्य सरकार इस band-width को राज्य मुख्यालय से विभिन्न सरकारी उपभोक्ताओं/

क्रमशः ....

विभागों को Video conferencing, Video communication, Internet access अथवा data communication के लिए dynamically आवंटित कर सकेगी। उसी प्रकार ऐसे सभी शहरों, जो जिला मुख्यालय नहीं हैं तथा जिनमें केबल्स बिछायी जा रही हों, से जिला मुख्यालय तक 2–मेगा बिट्स प्रति सेकेन्ड (2 Mbps) की band-width राज्य सरकार को पूरे परियोजना काल के लिए उपलब्ध करायेगी जिसका उपयोग राज्य सरकार अपने कार्यों के लिए कर सकेगी।

5. ऑप्टिकल फाइबर बिछाने की अनुमति non-exclusive आधार पर होगी।

6. इस समिति के निर्णय के अनुसार सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी अथवा निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी, ऑप्टिक फाइबर केबल्स बिछाने के लिए प्राधिकार पत्र निर्गत करेंगे। इसके बाद किसी अन्य विभाग/प्राधिकारी अथवा अन्य किसी भी सरकारी एजेन्सी से अनुमति अथवा प्राधिकार पत्र की आवश्यकता, केबल्स बिछाने वाली एजेन्सी को नहीं होगी। साथ ही केबल्स बिछाने वाली एजेन्सी, सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ एक इकरारनामा करेगी तथा विहित राशि बैंक गारंटी के रूप में जमा करेगी। इकरारनामा का प्रपत्र और बैंक गारंटी की राशि इस संकल्प के साथ संलग्न है।

7. इसके उपरान्त सम्बंधित एजेन्सी अपना काम प्रारम्भ कर सकती है। केवल काम प्रारम्भ करने से पहले उसे जिस विभाग की सम्पति/ संरचना हो उसे फाइबर ऑप्टिक ग्रिड रूट मैप (Fibre Optic grid route map) देना होगा और उन्हें सूचित भी करना होगा। सम्बंधित सरकारी विभाग यदि चाहे तो काम के सुरक्षित और त्वरित गति से हित में उचित सलाह/निदेश एजेन्सी को दे सकता है। केबल्स बिछाने का काम पूरा हो जाने पर एजेन्सी सम्बंधित सरकारी विभाग तथा सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को सूचित करेगी। साथ ही एजेन्सी सड़क, सड़क के किनारे की जमीन अथवा अन्य कोई जमीन जिसे केबल्स बिछाने के लिए खोदा गया हो, उसे अपनी कीमत पर और सम्बंधित

क्रमशः...